कुलाधिपति
सरदार वल्लभभाई पटेल
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
मेरठ – २५० ११०

CHANCELLOR
Sardar Vallabhbhai Patel University of
Agriculture & Technology,
Meerut - 250 110

राजभवन
लखनऊ – २२६ ०२७
RAJ BHAWAN
LUCKNOW-226 027

संख्याःई– 8056 /जी0एस0
दिनांक - 24/10/2024

आदेश

1. प्रत्यावेदक डा0 सत्यप्रकाश, प्राध्यापक उद्यान, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ (आगे "विश्वविद्यालय") द्वारा विज्ञापन संख्या V/2021 दिनांक 17.03.2021 के कमांक बी–2 के सापेक्ष डा0 प्रवीन कुमार सिंह, (आगे "विपक्षी") की निदेशक प्रसार के पद पर की गयी नियुक्ति के विरूद्ध उ0प्र0 कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 23 (आगे "अधिनियम") के अन्तर्गत प्रत्यावेदन दिनांक 10.04.2023 एवं 06.05.2023 प्रस्तुत करते हुए निदेशक प्रसार के पद पर की गयी विपक्षी की नियुक्ति को निरस्त किये जाने, नियुक्ति निरस्त किये जाने की दशा में उक्त पद पर स्वयं को नियुक्त कराये जाने की याचना की गयी है।

2(क). प्रत्यावेदक का मुख्य कथन है कि निदेशक प्रसार के पद पर नियुक्त किये गये विपक्षी विज्ञापित न्यूनतम अर्हता धारक न होने एवं प्रत्यावेदक से कम योग्यता होने के बावजूद प्रत्यावेदक को साक्षात्कार में कम अंक देकर एवं विपक्षी को सर्वाधिक अंक देकर नियुक्त किया गया है। उक्त विज्ञापन में अर्हता न्यूनतम 15 शोध पत्र प्रकाशित होना निर्धारित होने के सापेक्ष स्क्रीनिंग समिति के स्कोर कार्ड के अनुसार विपक्षी के 03 शोध पत्र प्रकाशित हैं। प्रत्यावेदक के Peer-Reviewed Journals/NAAS rated 23 शोध पत्र प्रकाशित हैं। स्क्रीनिंग समिति/चयन समिति द्वारा अधिकतम प्राप्तांक 12 होते हुए 12 अंक प्रदान किये गये हैं। नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने के पूर्व प्रत्यावेदक के पत्र दिनांक 16.12.2021 एवं 28.12.2021 द्वारा कुलपति को वस्तुस्थिति से अवगत कराये जाने पर भी विश्वविद्यालय से न्याय न मिलने पर प्रत्यावेदक द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ अपने पत्र दिनांक 18.01.2022 द्वारा राजभवन से न्याय हेतु अनुरोध किये जाने पर कुलाधिपति द्वारा विश्वविद्यालय से आख्या मांगी गयी, जिसके प्रतिउत्तर में निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण के पत्र दिनांक 22.11.2022 द्वारा अवगत कराया गया था कि निर्धारित स्कोर कार्ड के अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग का कार्य स्क्रीनिंग

समिति द्वारा किया गया। विपक्षी के आवेदन पत्र के अनुसार वह 01.07.2010 से प्राध्यापक पद पर कार्यरत है। उनके द्वारा आवेदन पत्र में 2011 से 2020 तक कुल 16 शोध पत्र इण्टरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित दर्शाये गये हैं, जो उनकी प्राध्यापक अवधि के हैं।

2(ख). चयन समिति द्वारा तैयार किये गये स्कोर कार्ड के अनुसार विपक्षी के द्वारा Peer-Reviewed Journals/NAAS rated journals में मात्र 03 शोध पत्र प्रकाशित किये जाने से विपक्षी को मात्र 03 अंक व अन्य हेड में कुल 02 अंक, प्रकाशन मद में कुल 05 अंक प्रदान किये गये हैं। प्रत्यावेदक को साक्षात्कार से पूर्व स्क्रीनिंग स्कोर कार्ड में 66.50 अंक एवं विपक्षी को 57.75 अंक प्रदान किये गये। प्रत्यावेदक के अतिरिक्त, 05 अन्य अभ्यर्थियों के भी अंक प्रत्यावेदक से अधिक थे। अध्यक्ष चयन समिति द्वारा Power Point Presentation में प्रत्यावेदक को न्यूनतम 15 अंक प्रदान किये गये। विपक्षी की नियुक्ति निर्देशानुसार चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता संबंधी निर्देशों का अनुपालन न करते हुए एवं न्यूनतम आवश्यक योग्यता न होने पर भी निदेशक प्रसार के पद पर की गयी है।

2(ग). उपर्युक्त विज्ञापन की शर्त : *(iv) Evidence of contribution to T/R/E as supported by published work/innovations. A minimum of 15 research publication in the peer-reviewed or NAAS rated journals.* के अनुसार स्क्रीनिंग समिति के समक्ष 15 शोध पत्र के सापेक्ष मात्र 03 पेपर पाये जाने, विपक्षी को पब्लिकेशन मद में मात्र 03 अंक प्रदान किये जाने अर्थात विज्ञापन की शर्त *(iv)* पूर्ण न करने की दशा में विपक्षी का अभ्यर्थन निरस्त होना चाहिए। Power Point Presentation के समय अध्यक्ष चयन समिति/तत्कालीन कुलपति द्वारा प्रत्यावेदक को 10 अंकों के सापेक्ष न्यूनतम 05 अंक तथा विपक्षी को 8 अंक प्रदान कर पक्षपात किया गया है जिसकी पुष्टि विश्वविद्यालय में रक्षित प्रत्यावेदक के Presentation की वैज्ञानिकों की समिति के समक्ष जॉच कराकर की जा सकती है। चयन समिति के उपर्युक्त अध्यक्ष द्वारा स्कोर कार्ड में प्रत्यावेदक के

सर्वाधिक अंक होने एवं प्रत्यावेदक का साक्षात्कार बहुत अच्छा होने पर भी, साक्षात्कार में प्रत्यावेदक को न्यूनतम 10 अंक तथा विपक्षी को 18 अंक प्रदान कर पक्षपात किया गया है, अतः साक्षात्कार के समय बनाई गयी वीडियो/सी0डी0 को विशेषज्ञों के समक्ष देखकर इस नियुक्ति की पुष्टि कराये जाने एवं उपर्युक्त याचित अनुतोष प्रदान कराये जाने की प्रार्थना की गयी है।

3(अ). विपक्षी द्वारा प्रेषित आख्या में मुख्यतः यह उल्लेख है कि उसके आवेदन पत्र में प्राध्यापक संवर्ग अवधि के दौरान 17 शोधपत्र हैं। कुलाधिपति नामित कृषि प्रसार विशेषज्ञों की समिति द्वारा लिये गये साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर उसे सर्वाधिक अंक दिये गये। कुल/सर्वाधिक अंकों के आधार पर उसकी नियुक्ति निदेशक प्रसार के पद पर 5 वर्ष के लिए की गयी है। स्कोर कार्ड की विभिन्न मदों में से केवल एक ही मद में प्रत्यावेदक के अंक विपक्षी से अधिक हैं। कृषि प्रसार के कार्यक्षेत्र में विपक्षी के पास 28 वर्षों का अनवरत अनुभव है एवं उसके द्वारा राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। विपक्षी द्वारा संलग्नक I से IX में अपने द्वारा National Institute of Agricultural Extension Management, Hyderabad के रूप में विभिन्न राज्यों में प्रदान की गयी सेवाओं, जिनसे राष्ट्रीय स्तर पर Extension Reforms को लागू करने में मदद होने, All India Agricultural Research Services (ARS) के नवनियुक्त वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देने हेतु (National Academy of Agricultural Research Management, (NAARM) हैदराबाद द्वारा कोर्स को–आर्डीनेटर नामित किये जाने, कृषि विज्ञान केन्द्र के चयनित अध्यक्षों को Management Development Program (MDP) का प्रशिक्षण देने हेतु उपर्युक्त NAARM, हैदराबाद द्वारा 2 बार कोर्स को–आर्डीनेटर नियुक्त किये जाने, विपक्षी के नेतृत्व में कृषि विज्ञान केन्द्र, सहारनपुर को ICAR Best KVK Award (Zonal)-2011...एवं के0वी0के0, मुजफ्फरनगर को 2013 में यहीं अवार्ड प्रदान किये जाने, ICAR द्वारा प्रत्यावेदक के नेतृत्व में के0वी0के0, सहारनपुर को वर्ष 2012 में तकनीकी हस्तांतरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किये जाने, कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी जानकारियों को ससमय उपलब्ध कराने हेतु उत्तर भारत के प्रथम Community Radio Station की स्थापना करने के कारण आईसीएआर एवं कृषि विभाग,

उ0प्र0 शासन द्वारा सम्मानित किये जाने, कृषि प्रसार को प्रभावी बनाने हेतु Consultant के रूप में विभिन्न स्तरों पर सेवायें प्रदान किये जाने जिनमें मुख्य रूप से 32 जनपदों को Strategic Research & Extension Plan (SREP) एवं राज्य स्तरीय State Extension Work Plan (SEWP) को अन्तिम रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिये जाने, विश्वविद्यालय सेवा में रहते हुए पूर्वी अफ्रीकी देश इथोपिया में वोकेशनल ट्रेनिंग एक्सपर्ट के रूप में 2 शैक्षणिक वर्षों में महत्वपूर्ण योगदान देने तथा विश्व प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय कम्पनी ITC Ltd. के International Business Division ने कृषकों से सम्बन्धित e-chaupal परियोजना को लागू करने में सलाहकार के रूप में कार्य करने हेतु अनुबन्धित किये जाने आदि से अवगत कराते हुए प्रत्यावेदक द्वारा लगाये गये उपर्युक्त आरोप आधारहीन, द्वेष भावना से प्रेरित एवं असत्य होने का कथन किया है।

4(अ). विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित आख्यानुसार विज्ञापन संख्या–V/2021 के कमांक संख्या B2 पर विज्ञापित पद निदेशक प्रसार की निर्धारित शैक्षिक योग्यता निम्नवत है :–

*"**For the post at SN A1: Director, Agricultural Experiment station** (i) Ph.d. degree in any branch of Agricultural Science/relevant/related field with consistently good academic record (ii) The tenure of the Director will be for a period of 05 years, subject to other rules of service, age bar etc. in the university (iii) An eminent scientist having proven record of scientific contribution/working in a reputed organization/Institute having at least 15 years T/R/E experience from recognized Govt. Institutions in the relevant subject out of which 05 years must be at the level of professor (pre revised scale Rs. 37400-67000 AGP- 10,000) or in an equivalent position with evidence of having successfully guided doctoral candidate/student. (iv) Evidence of contribution to T/R/E as supported by published work/innovations. A minimum of 15 research publication in the peer-reviewed or NAAS rated journals.*

*"**For the post at SN B2: Director, Extension** (i) Ph.D. degree in any branch of Agricultural Sciences/relevant/related field with consistently good academic record. An eminent Scientist having proven record of scientific contribution/working in a reputed Organization/Institute having at least 15 years T/R/E experience from recognized Govt. Institutions in the relevant subject out of which 05 yrs must be at the level of Professor (pre revised scale Rs. 37400-670000 AGP 10,000) or in an equivalent position. The (ii) and (iv) same as at SN A1."*

उपर्युक्त विज्ञापन के लिए निर्धारित स्कोर कार्ड के अनुसार निदेशक प्रसार के पद हेतु प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग समिति द्वारा स्क्रीनिंग करायी गयी तथा स्क्रीनिंग समिति द्वारा दी गयी रिपोर्ट के अनुसार निदेशक प्रसार के पद पर साक्षाकार हेतु अर्ह पाये गये 10 अभ्यर्थियों की सूची प्रेषित की गयी। विपक्षी के आवेदन पत्र के विवरण के अनुसार वह 01.07.2010 से प्राध्यापक के पद पर कार्यरत है एवं वर्ष 2011 से 2020 तक कुल 16 शोध पत्र International Journal में प्रकाशित दर्शाए गये हैं, जो उनके प्राध्यापक अवधि के हैं।

4(ब). स्क्रीनिंग समिति द्वारा विपक्षी के आवेदन पत्र के विवरण के अनुसार, उसके द्वारा प्रकाशित शोध–पत्रों को उचित मानते हुए विज्ञापन में दी गयी अर्हता के अनुसार अर्ह मानते हुए साक्षात्कार सूची में सम्मिलित किया गया। स्क्रीनिंग समिति द्वारा प्रत्यावेदक के आवेदन पत्र के विवरण के अनुसार उसकी प्राध्यापक की अवधि (वर्ष 01.07.2010 से विज्ञापन की तिथि तक) कुल 17 Research papers peer-reviewed journals (16 Research papers International Journals में तथा 01 Research paper National Journal) में प्रकाशित किये जाने से विज्ञापन में दी गयी अर्हता के अनुसार अर्ह पाया गया।

4(स). विश्वविद्यालय में प्रभावी परिनियम के अध्याय–13(4)(b) में प्रावधानित व्यवस्थानुसार कुलाधिपति नामित दो वाह्य विशेषज्ञों द्वारा गठित चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के Power Point Presentation तथा साक्षात्कार में उनकी Performance के आधार पर दोनों गतिविधियों हेतु निर्धारित अधिकतम 30 अंकों (20+10=30) में से अंक प्रदान किये गये है। निर्देशानुसार Power Point Presentation एवं साक्षात्कार की विडियोग्राफी भी करायी गयी है। स्क्रीनिंग समिति द्वारा एकेडेमिक आदि हेतु प्रदान किये गये अंक एवं चयन समिति द्वारा Power Point Presentation तथा साक्षात्कार में उत्कृष्टता के आधार पर कुल अंक 100 के सापेक्ष मेरिट तैयार कर अधिकतम अंक के आधार पर विपक्षी का चयन निदेशक प्रसार के पद पर किया गया है। चयन समिति द्वारा तैयार

की गयी सूची में प्रत्यावेदक का नाम अंकित नहीं है अतः प्रत्यावेदक द्वारा लगाये गये आरोप निराधार एवं असत्य हैं तथा निरस्त किये जाने योग्य हैं।

5(अ). प्रत्यावेदक द्वारा विश्वविद्यालय की आख्या के सापेक्ष प्रेषित प्रत्युत्तर में उल्लेख किया गया है कि विज्ञापन संख्या V/2021 के कमांक B2 पर निदेशक प्रसार पद हेतु आवश्यक अर्हता *'A minimum of 15 research publications in the peer-reviewed or NAAS rated Journals'* निर्धारित है। उक्त पद पर चयन (स्क्रीनिंग) समिति का अध्यक्ष निदेशक स्तर से कम नहीं होना चाहिए था जिसके सापेक्ष विश्वविद्यालय द्वारा डॉ0 डी0के0 सिंह को अध्यक्ष बनाया गया, जो निदेशक स्तर के नहीं थे। निदेशक प्रसार पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग करने व स्कोर कार्ड तैयार करने हेतु 04 सदस्यीय समिति गठित की गयी थी, जिसमें 02 विशेषज्ञ बाहरी संस्थानों से थे। स्क्रीनिंग समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों में लगे प्रमाणपत्रों एवं शोधपत्रों के आधार पर स्कोर कार्ड तैयार किया गया था। स्क्रीनिंग समिति द्वारा विपक्षी के आवेदन पत्र में पाये गये NAAS Rated/Peer Reviewed शोध पत्रों के आधार पर स्कोर कार्ड में पब्लिकेशन मद में मात्र 03 अंक (1+1+1) प्रदान किये गये इसके अलावा विपक्षी को Peer Reviewed शोध पत्र अथवा आर्टिकल के कोई अंक स्कोर कार्ड में नहीं मिले हैं अर्थात स्क्रीनिंग समिति द्वारा स्क्रीनिंग के समय बनाये गये स्कोर कार्ड से पुष्टित है कि विपक्षी के आवेदन पत्र में स्क्रीनिंग समिति को स्क्रीनिंग के समय 15 NAAS Rated/Peer Reviewed शोध पत्रों के स्थान पर मात्र 03 शोध पत्र मिले थे, जिससे निदेशक प्रसार पद की पात्रता पूर्ण नहीं करने के दृष्टिगत विपक्षी का आवेदन पत्र निरस्त होना चाहिए था। विपक्षी के आवेदन पत्र में दिये गये विवरण के अनुसार 17 शोध पत्रों की सूची संलग्न होने के सापेक्ष प्रत्यावेदक का कथन है कि 17 शोध पत्रों की सूची स्क्रीनिंग समिति को, विपक्षी के आवेदन पत्र के साथ नहीं पायी गयी तथा 03 शोध पत्र पाये जाने पर ही 03 अंक दिये गये जिससे स्पष्ट है कि 17 शोध पत्रों की सूची बाद में आवेदन के साथ संलग्न की गयी है।

5(ब). विपक्षी प्रारम्भ से ही कृषि विज्ञान केन्द्र में नियुक्त रहा है। परिनियम एवं शासनादेश दिनांक 14.06.2022 के अनुसार वह सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक व प्राध्यापक की श्रेणी में नहीं आते हैं तथा उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश दिनांक 14.06.2022 के अनुसार कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों को प्राध्यापक नहीं माना गया है, जिसके अनुसार विपक्षी के साथ 2008 में योगदान करने वाले प्रोफेसर/हेड के0वी0के0 डॉ0 सतीश कुमार को शिक्षक न मानकर 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किया गया है। तदनुसार विज्ञापन में उल्लिखित प्राध्यापक पद की अर्हता पूर्ण न करने के कारण विपक्षी का चयन अविधिक है। चयन समिति के अध्यक्ष तत्कालीन कुलपति द्वारा साक्षात्कार के समय Power Point Presentation एवं साक्षात्कार अच्छा होने के उपरान्त भी प्रत्यावेदक को सबसे कम अंक Power Point Presentation में 10 अंक के सापेक्ष 05 तथा साक्षात्कार में 20 अंक के सापेक्ष 10 (कुल अंक 15) अंक दिये गये किन्तु विपक्षी को 08+18=26 अंक दिये गये। स्क्रीनिंग स्कोर कार्ड के अनुसार प्रत्यावेदक का स्कोर कार्ड सर्वाधिक 76 तथा विपक्षी का स्कोर कार्ड 66 था, इससे पक्षपात स्पष्ट होता है। विश्वविद्यालय में पावर प्वाइण्ट प्रजेन्टेशन एवं साक्षात्कार की वीडियोग्राफी उपलब्ध है, उससे स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। विश्वविद्यालय का यह कथन कि प्रत्यावेदक का चयन सूची में नाम नहीं है, इसके सापेक्ष प्रत्यावेदक का कथन है कि चयन समिति के अध्यक्ष तत्कालीन कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय नियमों में किये गये प्रावधानों की अनदेखी करते हुए पैनल नहीं बनाया गया है जबकि अन्य पदों की चयन प्रकिया में पैनल बनाया गया है। यदि पैनल बनाया जाता तो प्रत्यावेदक का चयनित व्यक्ति के बाद सबसे अधिक स्कोर होने के कारण उसका नाम पैनल में होता।

5(स). प्रत्यावेदक द्वारा विपक्षी की आख्या के सापेक्ष प्रस्तुत प्रत्युत्तर में उल्लेख किया गया है कि विपक्षी द्वारा आवेदन पत्र में प्राध्यापक अवधि के 17 शोध–पत्र Peer Reviewed की सूची संलग्न की गयी है, जिसमें 16 शोध पत्र NAAS Rating के अंकित हैं। स्क्रीनिंग में विपक्षी के 16 NAAS Rated/Peer Reviewed पेपर के कोई अंक नहीं मिले है स्कोर कार्ड में उनको पब्लिकेशन मद में मात्र 03 अंक (1+1+1) प्रदान किये गये अर्थात् विपक्षी के आवेदन पत्र में 17 कथित शोध पत्र बाद में लगाये जाने की पुष्टि होती है। विपक्षी द्वारा भी प्रत्यावेदक को एक मद में अधिक अंक मिलने को स्वीकार

किया गया है। चार सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा तैयार किये गये स्कोर कार्ड में चारों सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, जिसमें प्रत्यावेदक को विपक्षी से 10 अंक अधिक हैं। स्क्रीनिंग के समय विपक्षी के आवेदन पत्र में NAAS Rated 03 शोध पत्र पाये जाने पर 03 अंक एवं प्रत्यावेदक के आवेदन पत्र में 34 NAAS Rated शोध पत्र पाये जाने पर 23 अंक दिये गये थे जो विपक्षी से अधिक थे। विश्वविद्यालय एवं विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आख्या अनुचित एवं निराधार होने के दृष्टिगत विपक्षी की नियुक्ति को निरस्त करते हुए उक्त पद पर प्रत्यावेदक को नियुक्त कराया जाये।

6. प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यावेदक द्वारा विश्वविद्यालय स्तर से सम्पादित की गयी विपक्षी की नियुक्ति सम्बन्धी चयन प्रक्रिया के विरुद्ध अपनी आपत्ति/प्रत्यावेदन प्रस्तुत करते हुए विपक्षी की नियुक्ति को निरस्त किये जाने एवं रिक्त हुए उक्त पद पर अपनी नियुक्ति कराये जाने की याचना की गयी है, जिसके सापेक्ष विश्वविद्यालय एवं विपक्षी द्वारा चयन प्रक्रिया व उक्त नियुक्ति को नियमानुकूल बतलाया गया है। प्रकरण में विश्वविद्यालय द्वारा चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति किये जाने सम्बन्धी निर्णय लेकर उसका कियान्वयन किया जा चुका है। अधिनियम, 1958 व तद्धीन निर्मित परिनियमावली में कुलाधिपति के स्तर से प्रत्यावेदक को नियुक्ति पत्र निर्गत कराये जाने सम्बन्धी कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि यह क्षेत्राधिकार विश्वविद्यालय में निहित है।

7. प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रत्यावेदक द्वारा चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग किया गया एवं चयन में असफल रहने पर, उक्त चयन प्रक्रिया को चुनौती दी गयी है जो विधि की दृष्टि में ग्राह्य नहीं है। इस संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत निर्णयज विधियाँ (i) **मद्रास इंस्टीट्यूट आफ डेवलपमेंट स्टडीज बनाम के. शिवसुब्रमण्यन, (2016) 1 एससीसी 454** एवं **(ii) प्रदीप कुमार राय बनाम दिनेश कुमार पाण्डेय, (2015) 11 एससीसी 493** अवलोकनीय हैं जिनमें मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि किसी पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित चयन प्रक्रिया

में प्रतिभाग करने के उपरान्त असफल रहने पर प्रतिभागी द्वारा चयन प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी जा सकती है।

8. प्रत्यावेदक द्वारा विपक्षी की नियुक्ति को निरस्त कर स्वयं को उक्त पद के लिए नियुक्ति पत्र जारी कराये जाने अर्थात विपक्षी की नियुक्ति के निरस्तीकरण के फलस्वरूप रिक्त होने वाले पद पर प्रत्यावेदक की नियुक्ति के विधिक अधिकार सम्बन्धी प्रत्यावेदक के कथन के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत निर्णयज विधियॉ (1) **अरूप दास बनाम असम राज्य, (2012) 5 एससीसी 559** एवं (2) **बालकृष्ण बेहेरा एवं अन्य बनाम सत्य प्रकाश दास, (2008) 1 एससीसी 318** अवलोकनीय हैं जिनमें मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि किसी पद पर मात्र चयन होना अथवा उक्त पद का रिक्त होना ही अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार प्रदान नहीं करता है। किसी पद पर नियुक्ति किया जाना अथवा न किया जाना नीतिगत विषय है जिसके लिए नियोक्ता को बाध्य नहीं किया जा सकता। स्पष्ट है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उक्त निर्णयज विधियों के अनुसार पद रिक्त होने व चयन हो जाने के उपरान्त भी अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राप्त करने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है।

9. चयन समिति की शक्तियों एवं कार्यो के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत निर्णयज विधियाँ **जी0एन0 नायक बनाम गोवा यूनिवर्सिटी एवं अन्य, (2002) 2 एससीसी 712** एवं **डा0 बसावइया बनाम डा0 एच0एल0 रमेश एवं अन्य, (2010) 8 एससीसी 372** अवलोकनीय हैं जिनमें मा0 न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि चयन समिति द्वारा एकमत से लिये गये निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए। किसी अभ्यर्थी की किसी विशेष पद के लिए उपयुक्तता का निर्धारण विशेषज्ञों वाली चयन समिति, जो सम्बन्धित विषय में विशेषज्ञता प्राप्त है, द्वारा अभ्यर्थियों की पारस्परिक योग्यता के मूल्यॉकन एवं परीक्षण द्वारा ही किया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों की पारस्परिक योग्यता का मूल्यांकन न्यायालय द्वारा नहीं किया जाना चाहिए और

न ही इस सम्बन्ध में चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में अपीलीय प्राधिकारी की तरह कार्य करना चाहिए। चयन समिति के विशेषज्ञों द्वारा अभ्यर्थियों की योग्यता का तुलनात्मक मूल्यांकन उनके समक्ष उपलब्ध अभ्यर्थी के साक्षात्कार व प्रपत्रों के आधार पर किया जाता है। ऐसी तुलनात्मक योग्यता का मूल्यांकन करते हुए कुलाधिपति अथवा मा0 न्यायालय द्वारा चयन समिति की संस्तुति/निर्णय में हस्तक्षेप करते हुए अपीलीय क्षेत्राधिकार की तरह कार्य नहीं किया जाना चाहिए। जहॉ पर विशेषज्ञता प्राप्त चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों, उनके अनुभव एवं प्रकाशन के मूल्यांकन के उपरान्त नियुक्ति से सम्बन्धित संस्तुति की गयी है, के सम्बन्ध में यह स्थापित विधि है कि उक्त विशेषज्ञता प्राप्त चयन समिति द्वारा किये गये मूल्यांकन में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में चयन समिति द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उपयुक्त अभ्यर्थी का चयन किया गया है तथा चयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार भी ग्रहण कर लिया गया है जिसके आलोक में प्रश्नगत पद पर विपक्षी का चयन/नियुक्ति निरस्त करते हुए उक्त पद पर प्रत्यावेदक को नियुक्त कराये जाने सम्बन्धी आदेश पारित किये जाने का कोई वैधानिक आधार विद्यमान नहीं होने के कारण इस सम्बन्ध में प्रत्यावेदक द्वारा प्रस्तुत कथन व तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

10. प्रत्यावेदक द्वारा स्वयं को योग्यतम कहते हुए विपक्षी की अर्हता पर भी आपत्ति व्यक्त की गयी है। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा स्वयं अपनी अर्हता/योग्यता का मूल्यांकन स्वयं किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रत्यावेदक के कथनों व तर्कों के सम्बन्ध में, मा0 उच्चतम न्यायालय की तीन–सदस्यीय पीठ द्वारा **जे. अशोका बनाम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज व अन्य, (2017) 2 एससीसी 609** के प्रकरण में यह अवधारित किया गया है कि सामान्यतया नियुक्ति करने वाली संस्था को चयन समिति द्वारा तय की गयी योग्यता के अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए। प्रत्यावेदक के प्रकरण में, चयन समिति द्वारा **विपक्षी की सेवा व योग्यता सम्बन्धी पर्याप्त** कारण दर्शाए गये हैं

कुलाधिपति
सरदार वल्लभभाई पटेल
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
मेरठ – २५० ११०

CHANCELLOR
Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture & Technology,
Meerut - 250 110

राजभवन
लखनऊ – २२६ ०२७
RAJ BHAWAN
LUCKNOW-226 027

जिससे किसी अभ्यर्थी की योग्यता का आंकलन मात्र उसकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए बल्कि अभ्यर्थी के कैरियर, उसके शैक्षिक पाठ्यक्रम, उसके सामान्य अनुभव जैसे अन्य आवश्यक कारकों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अभ्यर्थी की योग्यता, व्यक्तित्व और अन्य सभी महत्वपूर्ण कारक, विशेषज्ञता प्राप्त चयन समिति द्वारा सम्बन्धित पद के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए निर्धारित किये जाते हैं, जिससे सम्बन्धित चयन किया जाना है। इससे यह सिद्ध होता है कि योग्यता सूची में नीचे के अभ्यर्थी को उसके ऊपर के अभ्यर्थियों के ऊपर चयनित और नियुक्त किया जा सकता है यदि वह अनुभव, सामान्य योग्यता, व्यक्तित्व और शैक्षिक कैरियर आदि जैसे मापदण्डों पर अधिक उपयुक्त है तदनुसार इस सम्बन्ध में भी प्रत्यावेदक के कथन व तर्क स्वीकार्य नहीं हैं।

11. अतएव प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, उपर्युक्त विवेचन एवं विधि–व्यवस्था के आलोक में प्रत्यावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन अस्वीकार करते हुए प्रकरण तदनुसार निस्तारित किया किया जाता है।

Anandi Patel

(आनंदीबेन पटेल)
कुलाधिपति

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. डा0 सत्य प्रकाश, प्राध्यापक, उद्यान, उद्यान महाविद्यालय, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ।
2. डा0 पी0के0 सिंह, निदेशक प्रसार, प्रसार निदेशालय, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ
3. कुलपति, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

18/10/24

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव।